

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर(छ.ग.)

/आदेश/

आदेश क्रमांक 110/दो-11-01/2007

रायपुर, दिनांक 09.10.2023

माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 10673/डी0ई/तीन-18-27/2008 बिलासपुर, दिनांक 29.10.2022 व संलग्न छ0ग0 शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर जिला-रायपुर (छ0ग0) के पत्र क्रमांक 11150 /2914/21-ब/छ0ग0/2021 दिनांक 25.10.2021 के द्वारा सीधी भर्ती के पदों पर दिये गये अनुमति के आधार पर परिवार न्यायालय, रायपुर में सहायक ग्रेड-03 के रिक्त 12 पदों की पूर्ति, भर्ती एवं चयन समिति, परिवार न्यायालय, रायपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को परिवार न्यायालय, स्थापना रायपुर के लिए सहायक ग्रेड-03 (वेतनमान 19500-62000 वेतन मेट्रिक्स लेवल-04) के रिक्त पदों पर अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम व पता	वर्ग	नियुक्ति का वर्ग
1.	श्री शिव सिंह पिता श्री फूल सिंह निवासी ग्राम बोकरामुड़ा, पो0 नगरदा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)	अनु0जन0 जाति	मुक्त अनारक्षित
2.	श्री अशोक कुमार कुरे पिता श्री खगेश कुरे निवासी बेलगिरी बस्ति बालकों नगर जिला कोरबा (छ.ग.)	अनु0जाति	मुक्त अनारक्षित
3.	कु0शिल्पी गोयल पिता श्री संजय गोयल निवासी बस स्टैण्ड काली मंदिर रोड मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया (छ.ग.)	सामान्य	मुक्त अनारक्षित
4.	श्री संजय कुमार देवांगन पिता श्री कुरसों राम देवांगन निवासी द्वारा सुनिल कुमार देवांगन ग्राम+पो0 चन्द्रपुर(शाशीपुर) वार्ड नम्बर 04 वि0ख0 डभरा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)	अन्य0पि0वर्ग	मुक्त अनारक्षित
5.	श्री गौतम देवांगन पिता श्री जीवन लाल देवांगन निवासी जूना बिलासपुर कतियापारा प्रकाश सायकल स्टोर के सामने बिलासपुर (छ.ग.)	अन्य0पि0वर्ग	मुक्त अनारक्षित
6.	ज्योत्सना देवांगन पिता श्री दिनेश कुमार देवांगन कुणाल टाईप सेंटर, मोती मस्जिद के बाजू मेन रोड तुलसीपुर वार्ड नम्बर 18 राजनांदगांव (छ.ग.)	सामान्य	महिला अनारक्षित
7.	श्रीमती भारती साहू पिता श्री झम्मन साहू निवासी अशोक नगर बगदाई मंदिर के पास अटल आवास एफ ब्लॉक एफ-12 सरकण्डा बिलासपुर (छ.ग.)	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला अनारक्षित
8.	श्री हितेश कुमार पिता श्री मिथलेश कुमार निवासी डॉ0 ज्वाला प्रसाद मिश्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली (छ.ग.)	अनु0जाति वर्ग	अनु0जाति वर्ग
9.	श्री मनोज कुमार देवांगन पिता श्री पंचुराम देवांगन निवासी मकान नम्बर 4602/69 रायपुरा गणेश मंदिर चौक श्री साई मोबाईल शाप रायपुरा रायपुर (छ.ग.)	अ0पि0वर्ग	अ0पि0वर्ग
10.	राखी साहू पिता सुशील साहू निवासी 31/960, केलो विहार कालोनी गली नम्बर उपभोक्ता फोरम के पास रायगढ़ (छ.ग.)	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला अनारक्षित
11.	रंजना सूर्यवंशी पिता श्री रामकृष्ण सूर्यवंशी निवासी ग्राम खम्हिया, पो0 झरना तह0 चांपा जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	अनु0जाति वर्ग	अनु0जाति0 वर्ग
12.	श्री सचिन एक्का पिता श्री ओस्कार एक्का ग्राम जबला तपकरा जिला जशपुर (छ.ग.)	अनु0जन0जाति	अनु0जन0जाति

छ0ग0 सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अंतर्गत नियुक्ति की निर्धारित शर्तें :-

- (1) चयनित अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र एवं समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति तथा मूल प्रति अवलोकनार्थ, सेवा पुस्तिका (02 प्रति में), कार्यभार ग्रहण करते समय साथ लेकर उपस्थित होंगे ।
- (2) चयनित अभ्यर्थी को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा । परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी । इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी ।
- (3) चयनित अभ्यर्थी को इस आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण करा कर इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त है । यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी ।
- (4) नियुक्त कर्मचारियों को विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा रखेंगे । आज्ञाकारिता के उत्कृष्ट मानदंड के अनुसार कार्य करेंगे तथा सौंपे गये कार्य को सहर्ष पूरा करेंगे ।
- (5) नियुक्त कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन कराये जाने पर प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने की दशा में उन्हें सेवा से पृथक कर दिया जावेगा ।
- (6) यदि शासकीय सेवक, सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें कार्यालय प्रमुख को एक माह पूर्व सूचना देना होगा अथवा एक माह का वेतन तथा उस पर देय सभी भत्ते जमा करना होगा ।
- (7) सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिए अनुमति नहीं दी जावेगी, आगे नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्यत्र नौकरी हेतु भी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
- (8) नियुक्त कर्मचारी को आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा ।
- (9) उक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी (सी)कमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी । एवं माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रिट याचिका कमांक (एस) नम्बर 7773/2023 विवेक कुमार टण्डन विरुद्ध छत्तीसगढ़ स्टेट के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी ।
- (10) अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र यदि पूर्व से सत्यापित न हो, तो उसे उच्च स्तरीय छानबीन समिति से एक माह के भीतर सत्यापित कराना होगा ।
- (11) शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा अन्य किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी ।

sd
(हेमंत सराफ)

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर (छ.ग.)


858
पृ0कमांक /दो-11-01/2007
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 09.10.2023

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
02. अध्यक्ष भर्ती एवं चयन समिति, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

04. श्री शिव सिंह पिता श्री फूल सिंह निवासी ग्राम बोकरामुड़ा, पो0 नगरदा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)
05. श्री अशोक कुमार कुर्रे पिता श्री खगेश कुर्रे निवासी बेलगिरी बस्ति बालकों नगर जिला कोरबा (छ.ग.)
06. कु0शिल्पी गोयल पिता श्री संजय गोयल निवासी बस स्टैण्ड काली मंदिर रोड मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया (छ.ग.)
07. श्री संजय कुमार देवांगन पिता श्री कुरसों राम देवांगन निवासी द्वारा सुनिल कुमार देवांगन ग्राम+पो0 चन्द्रपुर(शाशीपुर) वार्ड नम्बर 04 वि0ख0 डभरा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)
08. श्री गौतम देवांगन पिता श्री जीवन लाल देवांगन निवासी जूना बिलासपुर कतियापारा प्रकाश सायकल स्टोर के सामने बिलासपुर (छ.ग.)
09. ज्योत्सना देवांगन पिता श्री दिनेश कुमार देवांगन कुणाल टाईप सेंटर, मोती मस्जिद के बाजू मेन रोड तुलसीपुर वार्ड नम्बर 18 राजनांदगांव (छ.ग.)
10. श्रीमती भारती साहू पिता श्री झम्मन साहू निवासी अशोक नगर बगदाई मंदिर के पास अटल आवास एफ ब्लॉक एफ-12 सरकण्डा बिलासपुर (छ.ग.)
11. श्री हितेश कुमार पिता श्री मिथलेश कुमार निवासी डॉ0 ज्वाला प्रसाद मिश्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली (छ.ग.)
12. श्री मनोज कुमार देवांगन पिता श्री पंचुराम देवांगन निवासी मकान नम्बर 4602/69 रायपुरा गणेश मंदिर चौक श्री साईं मोबाईल शाप रायपुरा रायपुर (छ.ग.)
13. राखी साहू पिता सुशील साहू निवासी 31/960, केलो विहार कालोनी गली नम्बर उपभोक्ता फोरम के पास रायगढ़ (छ.ग.)
14. रंजना सूर्यवंशी पिता श्री रामकृष्ण सूर्यवंशी निवासी ग्राम खम्हिया, पो0 झरना तह0 चांपा जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
15. श्री सचिन एक्का पिता श्री ओस्कार एक्का ग्राम जबला तपकरा जिला जशपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित ।
16. कार्यालय लिपिक, लेखा अनुभाग, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।




 (हेमंत सराफ)
 प्रधान न्यायाधीश
 कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर (छ.ग.)